बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

संख्या 5736799   दिनांक 09/06/26

ग्रा0वि0 07 (वीबी–जी राम जी) –01 / 2026

विकसित भारत– रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत–जी राम जी) अधिनियम, 2025, की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित योजना अधिसूचित करती है अर्थात् :

विकसित भारत– रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत–जी राम जी) योजना, बिहार, 2026

यह योजना बिहार राज्य के समस्त अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू होगी ।

अध्याय 1
संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और परिभाषाएँ

1. संक्षिप्त नाम, एवं प्रारंभ

(1) इस योजना को "विकसित भारत– रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) योजना, बिहार 2026" कही जा सकेगी ।

(2) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगी, जिसे बिहार सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाय।

2. परिभाषाएँ

जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस योजना में प्रयुक्त सभी पदों से वही अभिप्रेत होगा जो अधिनियम की धारा 2 में उनके लिए दिया गया है;

(क) "वयस्क" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो;

(ख) "आवेदक" से अभिप्रेत है किसी परिवार का मुखिया या उसका कोई अन्य वयस्क सदस्य, जिसने योजना के अंतर्गत रोजगार के लिए आवेदन किया हो;

(ग) "प्रखंड" से अभिप्रेत है बिहार के किसी जिले के भीतर एक सामुदायिक विकास क्षेत्र जिसमें ग्राम पंचायतें समाविष्ट हों;

(घ) "केन्द्र प्रायोजित योजना" से ऐसी योजना अभिप्रेत है जिसे केंद्र सरकार पूर्ण या आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है तथा राज्य सरकार उसे कार्यान्वित करती है;

(ङ) "जिला कार्यक्रम समन्वयक" से अभिप्रेत है जिला कलक्टर या राज्य सरकार का ऐसा पदाधिकारी जिसे जिले में योजना के कार्यान्वयन हेतु धारा 17 की उपधारा (1) के अंतर्गत इस रूप में नामित किया गया हो;

(च) "परिवार" से अभिप्रेत है ऐसे परिवार के सदस्य जो रक्त, विवाह या दत्तक–ग्रहण से परस्पर संबंधित हों तथा सामान्यतः एक साथ रहते हों और भोजन साझा करते हों या एक सामान्य राशन कार्ड रखते हों;

(छ) "कार्यान्वयन एजेंसी" में केन्द्र सरकार या बिहार सरकार का कोई भी विभाग, जिला परिषद्, मध्यवर्ती स्तर की पंचायत, ग्राम पंचायत या कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी उपक्रम सम्मिलित हैं जो योजना के अंतर्गत किसी कार्य को कार्यान्वित करने हेतु प्राधिकृत हों;

(ज) ''मध्यवर्ती स्तर'' से अभिप्रेत है गाँव एवं जिला के बीच का एक स्तर जिसे भारत संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड (ग) के अधीन विनिर्दिष्ट किया जाय;

(झ) "राष्ट्रीय स्तरीय संचालन समिति" से अभिप्रेत है ऐसी संचालन समिति जो केंद्र सरकार द्वारा धारा 14 की उपधारा (1) के अंतर्गत गठित हो;

(ञ) "मानक आवंटन" से अभिप्रेत है केन्द्र सरकार द्वारा बिहार को की गई निधि का आवंटन;

(ट) "अधिसूचना" से अभिप्रेत है राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना और पद ''अधिसूचित'' या ''अधिसूचित किया गया'', को तदनुसार समझा जाएगा;

(ठ) "कार्यक्रम पदाधिकारी" से अभिप्रेत है वह पदाधिकारी जो धारा 18 की उपधारा (1) के अंतर्गत नियुक्त हो;

(ड) "ग्रामीण क्षेत्र" से राज्य का ऐसा कोई भी क्षेत्र अभिप्रेत है, जो किसी नगर स्थानीय निकाय या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अंतर्गत स्थापित अथवा गठित कैंटोनमेंट बोर्ड से आच्छादित क्षेत्र न हो;

(ढ) ''अनुसूची से अभिप्रेत है इस अधिनियम से संलग्न अनुसूचियाँ;

(ण) ''योजना (स्कीम)'' से अभिप्रेत है धारा (3) की उप धारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित योजना;

(त) इस योजना के प्रयोजनार्थ ''राज्य'' बिहार राज्य को निर्दिष्ट करता है;

(थ) "राज्य परिषद्" से अभिप्रेत है धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत गठित बिहार राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद्;

(द) "राज्य स्तरीय संचालन समिति" से अभिप्रेत है धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत गठित संचालन समिति;

(ध) "अकुशल शारीरिक श्रम" से अभिप्रेत है वह शारीरिक कार्य जिसे कोई भी वयस्क बिना किसी कौशल या विशेष प्रशिक्षण के कर सके;

(न) "विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक" से अभिप्रेत है विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं से उभरे प्रस्तावित कार्यों का ऐसा समेकित संग्रहण जो जिला व राज्य स्तर पर एकत्रित किया गया हो तथा अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट चार विषयक क्षेत्रों के अनुरूप हो;

(प) "विकसित ग्राम पंचायत योजना" से अभिप्रेत है विकसित भारत@2047 की दृष्टि के अनुरूप एक भविष्योन्मुखी, अभिसरण–आधारित स्थानीय विकास योजना जो ग्राम पंचायत द्वारा एक सहभागी एवं साक्ष्य–आधारित प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित की गई हो और जो इस योजना के अधीन पहचान और प्राथमिकता के आधार के रूप में कार्य करता हो;

(फ) "मजदूरी दर" से अभिप्रेत है धारा 10 में निर्दिष्ट मजदूरी दर जिसे केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो;

(ब) "कार्य" से अभिप्रेत है योजना के अंतर्गत किया या कराया जाने वाला कोई भी कार्य।

अध्याय II
उद्देश्य एवं मार्गदर्शी सिद्धांत

3. उद्देश्य

(क) इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण विकास ढाँचे को विकसित भारत @2047 की राष्ट्रीय दृष्टि के साथ संरेखित करना है– प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उन ग्रामीण परिवारों को एक सौ पच्चीस (125) दिवसों की विस्तारित

सांविधिक मजदूरी; रोजगार गारंटी प्रदान करना जिनके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हों, जिससे वे अपनी आजीविका से जुड़े अधिक अवसरों का बेहतर लाभ उठा सकें।

(ख) सशक्तीकरण, विकास, अभिसरण और संतृप्ति पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सार्वजनिक कार्यों के माध्यम से विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक का निर्माण किया जाएगा। इसका विषयगत फोकस जल–सुरक्षा से संबंधित कार्यों, कोर ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका–संबंधी अवसंरचना तथा विषम मौसमीय घटनाओं के प्रभाव को कम करने हेतु विशेष कार्यों पर होगा जिसमें बिहार को प्रायः प्रभावित करने वाले बाढ़ और सूखा शामिल हैं।

(ग) ग्रामीण कार्यबल के लिए मजदूरी–रोजगार के मद्देनजर बिहार में कृषि के चरम मौसम के दौरान पर्याप्त कृषि–श्रम की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(घ) विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के माध्यम से अभिसरण (कन्वर्जेंस), सेचुरेशन–संचालित (पूर्ण संतृप्ति) नियोजन और समग्र सरकार वितरण के माध्यम से विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं को संस्थागत रूप देना, जिसे पीएम गति शक्ति, भू–स्थानिक प्रणालियों और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के साथ एकीकृत करते हुए इन योजनाओं को प्रखंड, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर संकलित किया जा सके।

(ङ) बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण, जीपीएस/मोबाइल–आधारित कार्यस्थल अनुश्रवण, रियल–टाइम एम0आई0एस0 डैशबोर्ड, सक्रिय सार्वजनिक प्रकटीकरण और आयोजना, संपरीक्षा एवं धोखाधड़ी जोखिम में कमी हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग सहित एक व्यापक डिजिटल अवसंरचना के माध्यम से शासन, जवाबदेही और नागरिक सहभागिता को बिहार में आधुनिक बनाना।

अध्याय III
गारंटी, समय–सीमाएँ एवं शर्तें

4. गारंटी

(क) बिहार सरकार इस योजना के अनुसार अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ऐसे परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम

करना चाहते हों, एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम एक सौ पच्चीस (125) दिवसों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करेगी।

(ख) योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य दिवस के लिए अधिसूचित मजदूरी दर पर मजदूरी पाने का हकदार होगा।

(ग) दैनिक मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर या किसी भी परिस्थिति में कार्य किए जाने की तारीख से पक्ष के भीतर किया जाएगा।

(घ) यदि रोजगार के लिए आवेदन प्राप्त होने के पंद्रह दिवसों के भीतर या अग्रिम आवेदन की दशा में, जिस तारीख से रोजगार माँगा गया हो उस तारीख से, जो भी बाद में हो, रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है, तो आवेदक दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा।

(ङ) यदि मस्टर रोल बंद होने की तारीख से पंद्रह दिवसों के भीतर मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता तो मजदूरी–प्राप्तकर्ता मस्टर रोल बंद होने के सोलहवें दिन के बाद विलंब के प्रति दिन देय मजदूरी के 0.05% की दर से क्षतिपूर्ति का हकदार होगा।

5. माँग की शर्तें

(क) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत परिवार का वह वयस्क सदस्य जिसका नाम ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड में दर्ज हो, अकुशल शारीरिक श्रम के लिए आवेदन करने का हकदार होगा और प्रत्येक ऐसा आवेदन अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकृत होगा तथा डिजिटल प्लेटफार्म में दर्ज करते हुए दिनांक सहित पावती निर्गत की जाएगी।

(ख) बिहार सरकार वंचित वर्गों की आवश्यकताओं का सक्रिय रूप से सत्यापन करेगी और उन्हें कार्य प्रदान करेगी।

(ग) कार्य के लिए आवेदन मौखिक या लिखित रूप में वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत, कार्यक्रम पदाधिकारी या बिहार सरकार द्वारा प्राधिकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जा सकेगा।

(घ) कार्य के लिए आवेदन व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से दाखिल किए जा सकेंगे।

अध्याय IV
योजना ढाँचा

6. विकसित ग्राम पंचायत योजना (वीजीपीपी)

(क) बिहार का प्रत्येक ग्राम पंचायत विकसित भारत@2047 के अनुरूप, भविष्य के लिए तैयार और अभिसरण पर आधारित एक स्थानीय विकसित ग्राम पंचायत योजना तैयार करेगी। इस योजना को जीआईएस (जीआईएस)–आधारित उपकरणों, पीएम गति शक्ति लेयर्स और अन्य डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे का उपयोग करके तैयार किया जाएगा और अंतिम अनुमोदन के लिए ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(ख) पंचायती राज प्रणाली के प्रत्येक स्तर पर विनिर्दिष्ट तरीके के अनुसार एक व्यवस्थित और भागीदारी युक्त एक योजना तैयार की जाएगी। ग्राम पंचायतों द्वारा जीआईएस आधारित उपकरण, प्रधान मंत्री गति शक्ति लेयर्स और अन्य डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का प्रयोग कर विकसित ग्राम पंचायत योजना तैयार की जाएगी और अनुमोदन हेतु ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। मध्यवर्ती पंचायत, जिला पंचायत या अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यों को भी उनके अपेक्षित इनपुट और परिणामों के साथ संबंधित पंचायतों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सभी ग्राम पंचायतों में पात्र परिसंपत्तियों और परिणामों की व्यापक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय प्राथमिकताओं, व्यापक ग्रामीण विकास रणनीतियों और संतृप्ति–आधारित योजना के साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं को प्रखंड, जिला और राज्य स्तरों पर संकलित किया जाएगा। अंततः इन विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं से उभरने वाले सभी कार्यों को विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक में एकीकृत किया जाएगा।

(ग) प्रत्येक ग्राम पंचायत शहरी क्षेत्रों से निकटता एवं अन्य विकास मापदंडों के आधार पर श्रेणी (क, ख, ग आदि) का निर्धारण कर पूर्ण संतृप्ति (सेचुरेशन–मोड) में योजनाएँ तैयार करेगी।

(घ) वार्षिक योजनाओं का निर्माण केंद्र सरकार द्वारा संसूचित मानक आवंटन (नॉर्मेटिव एलोकेशन) के आधार पर किया जाएगा।

(ङ) विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं (वीजीपीपीएस) में चिह्नित कार्यों को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित दिशा–निर्देशों के अनुरूप, विभिन्न केंद्रीय, राज्य स्तरीय और स्थानीय योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से क्रियान्वयित किया जाएगा।

(च) विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं (वीजीपीपीएस) एवं वार्षिक श्रम मांग (लेबर डिमांड) को तैयार करते समय, राज्य में अधिसूचित चरम कृषि अवधियों (पीक एग्रीकल्चरल पीरियड्स) के दौरान कार्यान्वयन हेतु किसी भी कार्य का प्रस्ताव नहीं किया जाएगा।

7. अभिसरण और एकीकृत योजना का ढाँचा

ग्रामीण क्षेत्रों में किए जाने वाले सभी कार्यों की सुसंगत योजना, क्रियान्वयन और अनुश्रवण के लिए एक एकीकृत अभिसरण ढाँचा स्थापित किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ :

(क) अभिसरण के लिए अधिसूचित सभी मौजूदा केन्द्रीय, राज्य या स्थानीय योजनाओं को विकसित ग्राम पंचायत की योजनाओं में रखे एकीकृत योजना प्रक्रिया के अंतर्गत लाया जाएगा।

(ख) सभी मौजूदा परिसंपत्तियों और प्रस्तावित कार्यों को, चाहे वे इस योजना से वित्त पोषित हों या किसी अन्य योजना से, निर्धारित डिजिटल पोर्टल के माध्यम से "विकसित भारत–राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक" पर अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकृत (रजिस्टर्ड) और ट्रैक किया जाएगा।

(ग) ग्रामीण सार्वजनिक कार्यों हेतु जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संबंधित अवसंरचना तथा चरम मौसमी घटनाओं के शमन हेतु विशेष कार्यों को समाहित करने वाली एक एकीकृत डिजिटल प्रणाली स्थापित की जाएगी। समस्त योजना वीजीपीपी से प्रारंभ होकर, जिला तथा राज्य स्तर पर उत्तरोत्तर समेकित करते हुए एक सुनिश्चित बॉटम–अप प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

(घ) विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक बिहार के जिलों, प्रखंडों और पंचायती राज संस्थाओं को बुनियादी ढांचे की कमियों की पहचान करने, कार्य डिजाइनों का मानकीकरण करने और संतृप्ति के दृष्टिपथ मापने योग्य परिणाम सुनिश्चित करने में मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

(ङ) यह संस्थागत ढाँचा एक योजना, बहु–वित्तपोषण के दृष्टिकोण पर काम करेगी, जिससे अलग–अलग विभागों और योजनाओं में तालमेल बढ़ेगा और ग्रामीण विकास के सभी प्रयास "विकसित भारत@2047" के लक्ष्य के अनुरूप पूरे किए जा सकेंगे।

अध्याय V
राज्य संस्थागत संरचना

8. बिहार राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद्

(1) राज्य स्तर पर एक 'बिहार राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद्' स्थापित की जाएगी, जिसमें एक राज्य स्तरीय आम सभा होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगेः–

i. माननीय मुख्यमंत्री, बिहार – अध्यक्ष
ii. माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार– उपाध्यक्ष
iii. माननीय मंत्री, वित्त विभाग
iv. माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग
v. माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग
vi. माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
vii. माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग
viii. माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
ix. माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
x. माननीय मंत्री, कृषि विभाग
xi. माननीय मंत्री, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग
xii. माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग
xiii. माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग

xiv. मुख्य सचिव, बिहार सरकार

xv. विकास आयुक्त, बिहार सरकार

xvi. प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग – सदस्य सचिव

xvii. प्रभारी आयुक्त/निदेशक, वीबी–जी राम जी योजना

xviii. पंचायती राज संस्थाओं, श्रमिक संगठनों और कमजोर वर्गों से बिहार सरकार द्वारा नामित अधिकतम पंद्रह गैरसरकारी सदस्य परंतु इनमें से कम से कम एक–तिहाई महिलाएँ होंगी तथा कम से कम एक–तिहाई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे।

(2) सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन और शर्त्तें, गणपूर्ति एवं बैठक की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा अलग से नियमों द्वारा अधिसूचित की जाएगी।

(3) बिहार राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् के कर्तव्य एवं कार्य :

i. राज्य सरकार को योजना एवं बिहार में इसके कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों पर परामर्श देना।

ii. आवधिक रूप से अनुश्रवण एवं निवारण तंत्रों की समीक्षा करना और सुधार की सिफारिश करना।

iii. बिहार में अधिनियम और योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना तथा केन्द्रीय परिषद् के साथ समन्वय करना।

iv. बिहार विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

v. केन्द्रीय परिषद् या बिहार सरकार द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कर्तव्य या कार्य।

(4) राज्य परिषद् को राज्य में संचालित योजना का मूल्यांकन करने की शक्ति होगी, और इस प्रयोजन के लिए वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा राज्य में योजना और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से संबंधित आँकड़ों को एकत्र करेगा या करवाएगा।

9. राज्य स्तरीय संचालन समिति

(1) राज्य स्तर पर एक राज्य स्तरीय संचालन समिति होगी जो बिहार में योजना के कार्यान्वयन का परिचालन मार्गदर्शन, समन्वय और अनुश्रवण करेगी।

(2) यह समिति बिहार के मुख्य सचिव या अपर मुख्य सचिव से अन्यून पंक्ति के किसी पदाधिकारी की अध्यक्षता में होगी तथा इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे;

i. प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग

ii. बिहार सरकार के संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, (वित्त विभाग, पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, जल संसाधन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, कृषि विभाग, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग, श्रम संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग)

iii. योजना के प्रभारी आयुक्त/निदेशक

iv. बिहार सरकार द्वारा निर्धारित विषय–विशेषज्ञ

v. तकनीकी या शोध संस्थाओं के प्रतिनिधि

vi. ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित एक सदस्य

(3) राज्य स्तरीय संचालन समिति

i. राज्य-भर में योजना-निर्माण और अभिसरण की निगरानी करेगी;

ii. जिलों के प्रदर्शन की समीक्षा करेगी;

iii. राष्ट्रीय स्तरीय संचालन समिति के साथ समन्वय करेगी;

iv. राज्य स्तर पर डिजिटल प्रणालियों, अनुश्रवण व्यवस्थाओं और प्रक्रिया-सुधारों को समर्थन प्रदान करेगी; और

v. राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों का निर्वहन करेगी।

10. मध्यवर्ती पंचायतें

(1) पंचायती राज संस्थाएँ–जिला परिषद्, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत

बिहार में योजना-निर्माण, क्रियान्वयन और अनुश्रवण के प्रमुख प्राधिकार होंगे।

(2) जिला स्तर की पंचायत, जिला परिषद् जिले में योजना के क्रियान्वयन की निगरानी और समन्वय करेगी, जिसमें समेकित जिला-स्तरीय योजना का अंतिम रूप देना और अनुमोदन करना, कार्यों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण, अभिसरण सुनिश्चित करना, तथा राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों का निर्वहन करना शामिल होगा।

(3) मध्यवर्ती स्तर की पंचायत – पंचायत समिति (मध्यवर्ती स्तर) समेकित प्रखंड-स्तरीय योजना तैयार करेगी और उसे अंतिम रूप देगी, ग्राम पंचायतों को योजना-निर्माण एवं क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करेगी, ग्राम पंचायत तथा प्रखंड स्तर पर कार्यों का पर्यवेक्षण करेगी, तथा लाइन विभागों के साथ अभिसरण को सुगम बनाएगी।

(4) वार्षिक योजनाएँ मानक आवंटन के आधार पर तैयार की जाएँगी।

(5) ग्राम पंचायत परिवारों का रजिस्ट्रीकरण करेगी, कार्य के लिए प्राप्त आवेदनों को स्वीकार कर उनका निस्तारण करेगी, विकसित ग्राम पंचायत योजनाएँ तैयार करेगी, उसे सौंपे गए कार्यों का क्रियान्वयन करेगी, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अभिलेखों का संधारण करेगी, तथा योजना के अंतर्गत उसे सौंपे गए अन्य दायित्वों का निर्वहन करेगी।

11. जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी)

(1) जिला कलक्टर को बिहार के अपने–अपने जिले में योजना के कार्यान्वयन हेतु जिला कार्यक्रम समन्वयक के रूप में नामित किया जाएगा।

(2) जिला कार्यक्रम समन्वयक इस योजना तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार जिले में योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) जिला कार्यक्रम समन्वयक के कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

i. जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला समेकित योजना के संकलन और अंतिम रूप देने के लिए उत्तरदायी होगा तथा इस अधिनियम के

प्रावधानों के अनुसार जिले में अभिसरण, क्रियान्वयन और योजना का अनुश्रवण करेगा।

ii. जिला कार्यक्रम समन्वयक इस योजना के प्रावधानों तथा केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, और योजना के समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृतियाँ एवं अनुमतियाँ प्रदान करेगा, जिनमें डिजिटल, भू–स्थानिक तथा अनुश्रवण प्रणालियों से संबंधित स्वीकृतियाँ भी शामिल होंगी।

iii. जिला कार्यक्रम समन्वयक कार्यक्रम पदाधिकारियों के साथ समन्वय करेगा तथा अधिनियम और योजना के अंतर्गत स्थापित अनुश्रवण रूपरेखा, प्रबंधन सूचना प्रणाली और जवाबदेही तंत्र का उपयोग करते हुए उनके कार्य निष्पादन की समीक्षा, अनुश्रवण और पर्यवेक्षण करेगा।

iv. जिला कार्यक्रम समन्वयक योजना के अंतर्गत लिए गए कार्यों का आवधिक निरीक्षण करेगा, गुणवत्ता और उत्पादकता मानकों का पालन सुनिश्चित करेगा, तथा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित/जारी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और नामित शिकायत निवारण प्रणालियों के माध्यम से आवेदकों की शिकायतों का निवारण करेगा।

(4) जिला कार्यक्रम समन्वयक अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अनुमोदित विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं और कुल प्रखंड योजनाओं तथा जिला पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावों को मिलाकर जिले के लिए समग्र योजना तैयार करेगा।

12. कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रखंड स्तर)

(1) प्रत्येक मध्यवर्ती स्तर की पंचायत में, कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद से अन्यून समर्पित पदाधिकारी को कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा।

(2) कार्यक्रम पदाधिकारी अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाई गई योजना के अंतर्गत मध्यवर्ती स्तर की पंचायत को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करेगा।

(3) कार्यक्रम पदाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यों के माध्यम से सृजित होने वाले रोजगार अवसरों और श्रमिकों द्वारा की गई रोजगार की माँग की बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होंगे, ताकि माँग के अनुसार ससमय रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।

(4) कार्यक्रम पदाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्वीकृत विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं तथा मध्यवर्ती पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावों का संकलन करके प्रखंड की समेकित योजना तैयार करेगा।

(5) इस अधिनियम की उप धारा (2) की सामान्य प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यों में निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे–

i. प्रखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायतों तथा अन्य कार्यान्वियन एजेंसियों द्वारा लिए गए सभी कार्यों और परियोजनाओं की अनुश्रवण करना, तथा यह सुनिश्चित करना कि वे विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के अनुरूप हैं।

ii. इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पात्र परिवारों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत करना और उसका भुगतान सुनिश्चित करना।

iii. प्रखंड अंतर्गत डिजिटल एवं बायोमेट्रिक प्रमाणित भुगतान प्रणालियों के माध्यम से मजदूरों को समय पर और निष्पक्ष रूप से मजदूरी का उचित भुगतान सुनिश्चित करना, जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट है।

iv. प्रत्येक ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में लिए गए सभी कार्यों का नियमित सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा द्वारा किया जाना सुनिश्चित करना, तथा ऐसे अंकेक्षणों से उत्पन्न आपत्तियों और निष्कर्षों पर समयबद्ध और उपयुक्त कार्रवाई करना।

v. इस अधिनियम की धारा 25 की उप धारा (1) के अंतर्गत स्थापित शिकायत निवारण तंत्र के प्रावधानों के अनुरूप प्रखंड के अंतर्गत

योजना के क्रियान्वयन से संबंधित सभी शिकायतों और अभ्यावेदनों का त्वरित रूप से निस्तारण करना,

vi. प्रखंड में लिए गए सभी कार्यों का जियो टैगिंग, डिजिटल अभिलेखन तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली में रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना, तथा केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट अनुश्रवण, उत्पादकता और पारदर्शिता तंत्र का अनुपालन सुनिश्चित करना।

vii. प्रखंड स्तर पर विभागों के बीच अभिसरण को सुगम बनाना, ताकि संतृप्ति-उन्मुख योजना निर्माण तथा योजना के अंतर्गत कार्यों के क्रियान्वयन को समर्थन मिल सके; तथा

viii. इस अधिनियम के अंतर्गत जिला कार्यक्रम समन्वयक तथा राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे गए अन्य किसी भी कार्य का निर्वहन करना

(6) कार्यक्रम पदाधिकारी अपने कार्यों का निर्वहन जिला कार्यक्रम समन्वयक के निर्देशन, नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण में करेगा।

13. ग्राम पंचायत का उत्तरदायित्व

ग्राम पंचायत निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होंगी–

i. परिवारों का रजिस्ट्रीकरण करना तथा ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी करना;

ii. कार्य के लिए प्राप्त आवेदनों को स्वीकार करना तथा ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्डों का अभिलेख रखना;

iii. विकसित ग्राम पंचायत योजनाएँ तैयार करना;

iv. प्रत्येक ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और वार्ड सभाओं की अनुशंसाओं पर विचार करते हुए तथा कार्यों की मांग को ध्यान में रखते हुए, संतृप्ति-आधारित विकसित ग्राम पंचायत योजना तैयार करेगा;

v. वार्षिक योजनाएँ मानक आवंटन के आधार पर तैयार की जाएँगी;

vi. कार्यक्रम पदाधिकारी योजना के अंतर्गत लागत के कम से कम पचास प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से क्रियान्वित करने हेतु आवंटित करेगा;

vii. कार्यक्रम पदाधिकारी प्रत्येक ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराएगा;

(क) उन कार्यों के लिए मस्टर रोल, जिन्हें उसके द्वारा क्रियान्वित किया जाना स्वीकृत है;

(ख) ग्राम पंचायत के निवासियों के लिए अन्यत्र उपलब्ध रोजगार अवसरों की सूची;

viii. ग्राम पंचायत आवेदकों के बीच रोजगार अवसरों का आवंटन करेगी और उन्हें कार्य पर उपस्थित होने के लिए कहेगी;

ix. ग्राम पंचायत द्वारा योजना के अंतर्गत लिए गए कार्य निर्धारित तकनीकी मानकों और मापों के अनुरूप होंगे;

x. कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा उसे आवंटित कार्यों का क्रियान्वयन करना; तथा

xi. ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र के अंतर्गत विकसित ग्राम पंचायत योजना के अधीन कोई कार्य करा सकता है जो कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाय।

14. ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण

(1) ग्राम सभा ग्राम पंचायत की अधिकार–क्षेत्र में योजना के अंतर्गत किए गए सभी कार्यों के क्रियान्वयन की अनुश्रवण और समीक्षा करेगी।

(2) ग्राम सभा केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत/अधिसूचित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत के अंतर्गत योजना के तहत लिए गए सभी कार्यों का नियमित सामाजिक अंकेक्षण करेगी।

(3) ग्राम पंचायत सामाजिक अंकेक्षण के संचालन हेतु आवश्यक सभी अभिलेखों और दस्तावेजों– जैसे मस्टर रोल, विपत्र, पुरजा, माप पुस्तिका, स्वीकृति आदेश, डिजिटल अभिलेख, जियो–टैग फोटोग्राफ तथा अन्य सभी संबंधित लेखा पुस्तकें और कागजात, चाहे वे भौतिक रूप में हों या इलेक्ट्रॉनिक रूप में ग्राम सभा को उपलब्ध कराएगी।

अध्याय VI
रजिस्ट्रीकरण एवं रोजगार गांरटी कार्ड

15. परिवारों का रजिस्ट्रीकरण

(1) परिवार रजिस्ट्रीकरण :— बिहार के किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले और अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य परिवार के नाम, आयु और पता संबंधित ग्राम पंचायत को रजिस्ट्रीकरण तथा रोजगार गारंटी कार्ड प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत कर सकेंगे।

(2) एक विशिष्ट रंग का विशेष ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी किया जाएगा जहाँ रोजगार का इच्छुक हो—

(क) एकल महिला हों,

(ख) दिव्यांगजन हों,

(ग) साठ वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति हों

(घ) मुक्त बंधुआ मजदूर हों,

(ङ) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजीएस) बिहार से संबंधित हो,

(च) ट्रांसजेंडर व्यक्ति हों

(3) एक विशिष्ट रंग का विशेष ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड, कार्य प्रदान करने, कार्य मूल्यांकन तथा कार्यस्थल सुविधाओं में, जहाँ लागू हो, विशेष संरक्षण सुनिश्चित करेगा।

16. ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी करना

(1) ग्राम पंचायत का दायित्व होगा कि आवेदन प्राप्ति की तिथि से पंद्रह दिवसों के भीतर, ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड निर्गत करे, जो अनन्य कार्ड संख्या, निबंधित वयस्क सदस्यों की विवरणी, उनका फोटो, बैंक/पोस्ट ऑफिस खाता संख्या एवं आधार संख्या, यदि हों।

(2) ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड तीन वर्षों के लिए वैध होगा, उसके उपरांत उचित सत्यापन के बाद नवीनीकृत किया जा सकेगा।

(3) निम्नलिखित आधारों के अतिरिक्त किसी भी ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड को रद्द नहीं किया जाएगा;

(क) यदि यह प्रतिलिपि हो;

(ख) यदि पूरा परिवार ग्राम पंचायत की अधिकार—सीमा के बाहर स्थायी रूप से पलायन कर गया हो;

(ग) यदि रजिस्ट्रीकृत परिवार के सभी वयस्क सदस्यों की मृत्यु हो गई हो।

(4) बिहार सरकार ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड में निम्नलिखित विवरण नियमित रूप से अद्यतन कराए जाने की व्यवस्था कराएगी।

(क) जिन दिवसों के लिए कार्य की मांग की गई;

(ख) जिन दिवसों के लिए कार्य आवंटित किया गया;

(ग) आवंटित कार्य का विवरण,

(घ) मापी (मेजरमेंट) का विवरण;

(ङ) भुगतान किया गया बेरोजगारी भत्ता,

(च) तिथि–वार भुगतान की गई मजदूरी की राशि;

(छ) भुगतान किया गया विलंब क्षतिपूर्त्ति, तथा

(ज) प्रदान की गई परिसंपत्ति

(5) प्रत्येक श्रमिक को सुने जाने का अवसर प्राप्त होगा तथा वह योजना के अंतर्गत स्थापित शिकायत निवारण तंत्र के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी स्तर पर–मौखिक या लिखित रूप में–अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा।

17. विस्थापन की स्थिति में ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी करना

(1) इस अनुसूची में निहित किसी भी बात के बावजूद, बाढ़, चक्रवात, सूनामी या भूकंप जैसी किसी राष्ट्रीय आपदा के कारण ग्रामीण जनसंख्या के बड़े पैमाने पर विस्थापन की स्थिति में, प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य–

(क) अस्थायी पुनर्वास क्षेत्र की ग्राम पंचायत या कार्यक्रम पदाधिकारी से रजिस्ट्रीकरण कराने तथा ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी कराने का अनुरोध कर सकेंगे।

(ख) अस्थायी पुनर्वास क्षेत्र के कार्यक्रम पदाधिकारी या ग्राम पंचायत को कार्य के लिए लिखित या मौखिक आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे तथा

(ग) ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड के खो जाने या नष्ट हो जाने की स्थिति में पुन; रजिस्ट्रीकरण और पुनः निर्गत करने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

(2) ऐसे ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्डों का विवरण जिला कार्यक्रम समन्वयक को सूचित किया जाएगा।

(3) सामान्य स्थिति बहाल होने पर, इस प्रकार जारी किए गए रोजगार गारंटी कार्ड को मूल निवास स्थान पर पुनः प्रमाणित किया जाएगा और प्राप्त होने पर मूल ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड के साथ संलग्न किया जाएगा।

(4) इस प्रकार प्रदान किए गए रोजगार के दिवसों की संख्या को 125 दिवसों की गारंटीयुक्त रोजगार की सीमा के अंतर्गत गणना की जाएगी।

अध्याय VII
कार्य की माँग एवं आवंटन

18. कार्य की माँग

(1) रजिस्ट्रीकृत परिवार का प्रत्येक वयस्क सदस्य, जिसका नाम ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड में दर्ज हैं, योजना के अंतर्गत अकुशल श्रम के कार्य के लिए आवेदन करने का अधिकारी होगा; और ऐसे प्रत्येक आवेदन का अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा तथा तिथि सहित रसीद जारी की जाएगी, जिसे निर्धारित डिजिटल प्लेटफार्म में दर्ज किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार कमजोर समूहों की आवश्यकताओं का सक्रिय रूप से सत्यापन करेगी और उन्हें कार्य उपलब्ध कराएगी।

(3) कार्य के लिए आवेदन मौखिक या लिखित रूप में किया जा सकेगा और इसे वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत, कार्यक्रम अधिकारी, या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति, डिजिटल प्लेटफार्म या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(4) किसी व्यक्ति द्वारा रोजगार के लिए आवेदन किए जाने वाले रोजगार के दिवसों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी, बशर्त्ते रोजगार प्राप्त करने के अधिकतम सीमा 125 दिवसों के भीतर हो।

(5) कार्य के लिए आवेदन व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(6) किसी व्यक्ति द्वारा रोजगार के लिए आवेदन किए जाने वाले दिवसों की

संख्या पर, या उसे वास्तव में प्रदान किए जाने वाले रोजगार के दिवसों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी।

(7) योजना में अग्रिम आवेदन का प्रावधान किया–जाएगा अर्थात् ऐसा आवेदन जो रोजगार की अपेक्षित तिथि से पहले प्रस्तुत किया जाए।

(8) योजना में एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करने का प्रावधान होगा, बशर्ते कि जिन अवधियों के लिए रोजगार की माँग की गई है, वे एक–दूसरे से समानता न करती हों।

19. कार्य का आवंटन

(1) ग्राम पंचायत और कार्यक्रम पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आवेदन प्राप्त होने के पंद्रह दिवसों के भीतर अथवा अग्रिम आवेदन के मामले में जिस तिथि से उसने कार्य की माँग की है, जो भी तिथि बाद में हो, योजना के प्रावधानों के अनुरूप प्रत्येक आवेदन को अकुशल शारीरिक श्रम उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) इस कार्य में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि रजिस्ट्रीकरण कराने और कार्य की माँग करने वाली लाभार्थियों में कम से कम एक–तिहाई महिलाएँ हों; एकल महिलाओं तथा दिव्यांग व्यक्तियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जायेंगे।

(3) जिन आवेदकों को कार्य प्रदान किया जाता है, उन्हें इसकी सूचना लिखित रूप में दी जाएगी–या तो ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड में दिए गए पते पर पत्र भेजकर, या किसी अन्य प्रभावी संचार माध्यम के द्वारा, या जिला, मध्यवर्ती अथवा ग्राम स्तर की पंचायत के कार्यालय में प्रदर्शित सार्वजनिक सूचना के माध्यम से।

(4) जिन व्यक्तियों को कार्य प्रदान किया गया है, उनकी सूची ग्राम पंचायत के सूचना–पट्ट पर, कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय में तथा कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा आवश्यक समझे गए अन्य स्थानों पर प्रदर्शित की जाएगी, और यह सूची राज्य सरकार तथा किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी।

(5) यथासंभव, रोजगार उसी गाँव से पाँच किलोमीटर की परिधि के भीतर प्रदान

किया जाएगा, जहाँ आवेदक आवेदन के समय निवास करता है।

(6) यदि रोजगार पाँच किलोमीटर की परिधि के बाहर प्रदान किया जाता है, तो श्रमिकों को अतिरिक्त परिवहन तथा आवास संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु मजदूरी दर का दस प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी के रूप में दिया जाएगा।

(7) योजनान्तर्गत कोई नया कार्य यदि आरंभ होता है तो कम से कम दस मजदूर उपलब्ध होंगे, यह शर्त पहाड़ी क्षेत्र या वनरोपण कार्यों के लिए लागू नहीं होगी।

(8) रोजगार की अवधि कम से कम दिवसों की निरंतर अवधि होगी, तथा एक सप्ताह में छह दिवसों से अधिक नहीं होगी।

अध्याय VIII
मस्टर रोल, उपस्थिति एवं माप

20. मस्टर रोल

इस योजना के अंतर्गत लिए गए कार्यों के लिए मस्टर रोल पंजी डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से संधारित किए जाएंगे और निम्नलिखित आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे –

(i) प्रत्येक मस्टर रोल अंग्रेजी या हिन्दी भाषा में होगा तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से जारी एक अनन्य इलेक्ट्रॉनिक पहचान संख्या (ई–मस्टर) रखेगा। मस्टर रोल में उन सभी श्रमिकों के नाम शामिल होंगे जिन्होंने कार्य की माँग की है या जिन्हें कार्य आवंटित किया गया है, और इसे ग्राम पंचायत के अधिकृत पदाधिकारी या कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

21. उपस्थिति दर्ज करना

कार्यस्थल पर उपस्थिति प्रतिदिन बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का उपयोग करके एक अधिकृत व्यक्ति द्वारा दर्ज की जाएगी, और सभी उपस्थिति विवरण निर्धारित एमआईएस के माध्यम से दैनिक आधार पर सार्वजनिक अवलोकन के लिए उपलब्ध कराए जाएँगे।

22. कार्य का माप

(1) मजदूरी का भुगतान केवल कार्यस्थल पर अधिकृत तकनीकी कर्मियों द्वारा

मस्टर रोल बंद होने के तीन दिवसों के भीतर की गई माप के आधार पर ही किया जाएगा, और यह माप निर्धारित प्रबंधन सूचना प्रणाली से एकीकृत डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से दर्ज की जाएगी।

(2) राज्य सरकार समय पर माप सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त तकनीकी कर्मियों की तैनाती करेगी, उपर्युक्त व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर तकनीकी दायित्व सौंपे जा सकते हैं, और उन्हें कुशल श्रेणी की मजदूरी दर पर भुगतान किया जाएगा।

अध्याय IX
मजदूरी भुगतान एवं विलंब क्षतिपूर्ति

23. मजदूरी भुगतान

(1) श्रमिक को दी जाने वाली मजदूरी दर का निर्धारण एवं अधिसूचना केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।

(2) दैनिक मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर किया जाएगा या किसी भी स्थिति में वह उस तिथि से पंद्रह दिवसों से अधिक विलंबित नहीं होगा, जिस दिन संबंधित कार्य किया गया था।

24. भुगतान का तरीका

मजदूरी का भुगतान, जब तक केंद्र सरकार द्वारा छूट न दी गई हो, बैंक या डाकघर में श्रमिकों के व्यक्तिगत बचत खातों के माध्यम से किया जाएगा। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली का उपयोग अनिवार्य होगा।

25. विलंब क्षतिपूर्ति

(1) यदि मस्टर रोल बंद होने की तिथि से पंद्रह दिवसों के भीतर मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है, तो मजदूरी चाहने वाले व्यक्तियों को मस्टर रोल बंद होने के सोलहवें दिन के बाद प्रत्येक विलंबित दिन के लिए बकाया मजदूरी का 0.05% प्रतिदिन की दर से क्षतिपूर्त्ति प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(2) जिस तिथि से क्षतिपूर्त्ति देय होती है, उसके पंद्रह दिवसों से अधिक अवधि तक क्षतिपूर्त्ति के भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी को मजदूरी के भुगतान में देरी के समान माना जाएगा।

(3) मजदूरी के भुगतान में जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा विभिन्न पदाधिकारियों या एजेंसियों की उत्तरदायित्व निर्धारण के उद्देश्य से मजदूरी निर्धारण और भुगतान से संबंधित प्रक्रियाओं को विभिन्न चरणों में विभाजित किया जायेगा, जैसे–

(क) कार्य का मापी;

(ख) मस्टर रोल का कम्प्यूटरीकरण;

(ग) माप का कम्प्यूटरीकरण;

(घ) मजदूरी सूची का सृजन; और

(ङ.) निधि अंतरण आदेश को अपलोड करने, और इसके सभी चरणों के लिए अधिकतम समय सीमा तथा उत्तरदायी पदाधिकारी या एजेंसी का निर्धारण करना।

(4) कम्प्यूटर प्रणाली में यह प्रावधान होगा कि मस्टर रोल बंद होने की तिथि तथा मजदूरी पाने वालों के खातों में मजदूरी जमा होने की तिथि के आधार पर देय क्षतिपूर्त्ति की स्वतः गणना करने का प्रावधान किया जायेगा।

(5) जिला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम पदाधिकारी, उपर्युक्त निर्धारित समय–सीमा के भीतर आवश्यक सत्यापन के बाद क्षतिपूर्त्ति का अग्रिम भुगतान करेंगे तथा भुगतान में देरी के लिए उत्तरदायी पदाधिकारियों या एजेंसियों से क्षतिपूर्त्ति राशि की वसूली करेंगे।

(6) विलंब के दिवसों की संख्या, देय क्षतिपूर्त्ति तथा वास्तविक रूप से भुगतान की गई क्षतिपूर्त्ति–इन सभी का विवरण प्रबंधन सूचना प्रणाली में प्रदर्शित किया जाएगा।

अध्याय X
बेरोजगारी भत्ता

26. पात्रता

(1) यदि इस योजना के अंतर्गत रोजगार के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को उसके आवेदन प्राप्त होने की तिथि से पंद्रह दिवसों के भीतर, या अग्रिम आवेदन के मामले में जिस तिथि से रोजगार की मांग की गई है, जो भी तिथि बाद में हो, रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो उसे इस धारा

के प्रावधानों के अनुसार प्रतिदिन बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(2) बेरोजगारी भत्ता की दर किसी भी स्थिति में वित्तीय वर्ष के पहले तीस दिवसों के लिए अधिसूचित मजदूरी दर के एक–चौथाई से कम नहीं होगी, और वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए अधिसूचित मजदूरी दर के आधा (1/2) से कम नहीं होगी।

(3) राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ते पर होने वाले व्यय का वहन करेगी, और यह व्यय केंद्र के हिस्से में नहीं जोड़ा जाएगा।

27. प्रक्रिया

(1) आवेदक के परिवार को देय बेरोजगारी भत्ता, संयुक्त रूप से, कार्यक्रम पदाधिकारी या ऐसी स्थानीय प्राधिकरण (जिनमें जिला, मध्यवर्ती या ग्राम स्तर की पंचायत शामिल है) द्वारा स्वीकृत और वितरित किया जाएगा।

(2) बेरोजगारी भत्ते का प्रत्येक भुगतान, उस तिथि से पंद्रह दिवसों के भीतर किया जाएगा जिस तिथि को वह देय हुआ है।

अध्याय XI

कार्यों की श्रेणियाँ एवं पात्रता मापदण्ड

28. योजना के अंतर्गत कार्य एवं श्रेणियाँ

(1) योजना का फोकस–कार्य का वर्गीकरण; योजना का फोकस उन कार्य–श्रेणियों पर होगा, जिन्हें विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं में पहचाना गया है जिन्हें विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण आधारभूत संरचना स्टैक में समेकित किया गया है

(2) योजना के अंतर्गत लिए जाने वाले कार्य निम्नलिखित श्रेणियों में आएंगे, जिनके साथ उनका विषयगत फोकस और अपेक्षित परिणाम भी निर्धारित होंगे, अर्थात्–

क. श्रेणी I – जल–संबंधी कार्य (जल सुरक्षा हेतु)

(क) फोकस में संरक्षण, सिंचाई, भू–जल पुनर्भरण, स्रोत स्थिरता, जल निकायों का पुनर्जीवन, जलागम विकास तथा वनरोपन शामिल होंगे, और उदाहरणस्वरूप कार्य इस प्रकार है–

i. नहरों, बाढ़ या डायवर्जन चैनलों, चेक डैम, गली प्लग तथा भूमिगत डाइक्स का निर्माण;

ii. तालाबों, परकोलेशन टैंकों, रिचार्ज पिट, रिचार्ज शाफ्ट, इंजेक्शन वेल तथा संबंधित जल संरचनाओं का निर्माण या पुनर्जीवन;

iii. सिंचाई हेतु खुले कुएँ, सूक्ष्म सिंचाई चैनल और खेत जल वितरण प्रणालियाँ;

iv. सामुदायिक जल भराव वाली भूमि का सुधार;

v. मृदा एवं नमी संरक्षण से जुड़े वानिकी और वृक्षारोपण कार्य

vi. छत वर्षाजल संचयन और अन्य विकेन्द्रीत रिचार्ज प्रणालियाँ;

(ख) लक्षित परिणामः दीर्घकालिक जलवायु लचीलापन सुनिश्चित करने हेतु एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के माध्यम से जल सुरक्षा को सुदृढ़ करना।

ख. श्रेणी II – मूल ग्रामीण अवसंरचना

(क) विषयगत फोकस में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, संपर्कता, नवीकरणीय ऊर्जा तथा सामुदायिक सेवाओं से संबंधित मुख्य नागरिक, सामाजिक, शासन एवं सेवा–प्रदाय अवसंरचना शामिल होंगी और उदाहरणात्मक कार्य में शामिल है–

i. ग्रामीण सडकों, कल्वर्ट, क्रॉस–ड्रनेज संरचनाओं तथा ग्राम संपर्क सुविधाओं का निर्माण या उन्नयन;

ii. ग्राम पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केन्द्र; ग्रामीण पुस्तकालय और अन्य सार्वजनिक भवन

iii. विद्यालय अवसंरचना का निर्माण, जिसमें रसोई शेड, अतिरिक्त कक्षाएँ प्रयोगशालाएँ, परिधि दीवारें तथा खेल मैदान शामिल है;

iv. श्मशान घाट तथा सामुदायिक अवसंरचना;

v. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन परिसंपत्तियों, जिनमें स्थिरीकरण तालाब तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण शामिल है;

vi. सौर प्रकाश व्यवस्था तथा नवीकरणीय ग्रामीण ऊर्जा अवसंरचना की स्थापना;

vii. केन्द्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत अनुमेय ग्रामीण आवास कार्य जिसमें प्रधान मंत्री आवास योजना—ग्रामीण शामिल है।

viii. जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों की मरम्मत एवं रख—रखाव।

(ख) लक्षित परिणामः ग्रामीण बिहार में बुनियादी सुविधाओं, बेहतर सेवा—प्राप्ति और जीवन की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने हेतु आधारभूत नागरिक एवं सामाजिक अवसंरचना का सृजन।

ग. श्रेणी III — आजीविका संबंधी अवसंरचना

(क) विषयगत फोकस में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मूल्य संवर्धन, कौशल विकास तथा उद्यम विकास के माध्यम से ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करने वाली उत्पादक परिसंपत्तियाँ और सुविधाएँ शामिल होंगी और उदाहरण स्वरूप इस में शामिल है:

i. प्रशिक्षण—सह—कौशल विकास केन्द्रों तथा आजीविका गतिविधियों हेतु कार्य शेड का निर्माण;

ii. ग्रामीण हाट या साप्ताहिक बाजार तथा अन्य बाजार अवसंरचना;

iii. खाद्यान्न भंडारण भवन, कृषि उपज भंडारण संरचनाएँ, कोल्ड स्टोरेज इकाइयाँ तथा अन्य कृषि मूल्य श्रृंखला अवसंरचना;

iv. स्वयं सहायता समूहों तथा महासंघ स्तरीय संस्थाओं के लिए भवन;

v. कम्पोस्ट संरचनाएँ, जिनमें वर्मी कम्पोस्ट तथा एनएडीईपी इकाइयाँ शामिल हैं;

vi. सिल्वी पाश्चर घासभूमि का विकास, डेयरी अवसंरचना तथा गौ, बकरी, सूअर, कुक्कुट एवं अन्य पशुधन हेतु आश्रय;

vii. मत्स्य—पालन से संबंधित अवसंरचना, जिनमें मछली सुखाने के यार्ड शामिल हैं;

viii. नर्सरी की स्थापना तथा निर्माण सामग्री का उत्पादन; और

ix. परिपत्र एवं चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल को बढ़ावा देने वाले एकीकृत परियोजनाएँ, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा सकेगा।

(ख) लक्षित परिणाम बिहार में सतत आजीविकाओं, मूल्य संवर्धन, उद्यम विकास तथा आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना।

घ श्रेणी IV – चरम मौसमी घटनाओं को कम करने तथा आपदा तैयारी हेतु विशेष कार्य

(क) विषयगत फोकस में आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन, तथा बाढ़, चक्रवात, तूफान, सूखा, भूस्खलन, वनाग्नि और अन्य चरम मौसमीय घटनाओं से ग्रामीण समुदायों एवं परिसंपत्तियों की सुरक्षा और उदाहरण स्वरूप इस कार्य में शामिल होगे:–

i. चक्रवात आश्रयों, बाढ़ आश्रयों तथा बहुउद्देश्यीय आपदा–रोधी संरचनाओं का निर्माण; डायवर्जन चैनलों, तटबंधों तथा अन्य आपदा–शमन कार्यों का निर्माण;

ii. बाढ़ प्रबंधन हेतु तालाबों का तटबंध निर्माण तथा डाइवर्सन चैनलों का निर्माण;

iii. आपदा के बाद ग्रामीण सड़कों तथा सामुदायिक परिसंपत्तियों का पुनर्वास, पुनर्स्थापन एवं मरम्मत;

iv. पवनरोधी एवं शेल्टरबेल्ट वृक्षारोपण

v. वनाग्नि प्रबंधन कार्य,

vi. ब्रेक, ईंधन बफर जोन तथा अन्य संबद्ध उपाय

(ख) लक्षित परिणाम:–ऐसे जलवायु अनुकूल गाँवों का निर्माण, जो चरम मौसमी परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम हों

(3) केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य सार्वजनिक कार्य।

(4) अधिनियम के अंतर्गत निर्मित ग्रामीण सार्वजनिक परिसंपत्तियों का रख रखाव।

(5) प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए आवास संबंधी कार्य में शामिल हो किन्तु उन्ही तक सीमित न हों ग्रामीण स्वच्छता संबंधी कार्य, समय समय पर केंद्र सरकार को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत संचालित अन्य लाभार्थी उन्मुख विकासात्मक कार्य तथा जिन्हें विशेष रूप से इस योजना में शामिल किए जाने हेतु अधिसूचित किया गया

हो, भी लिए जा सकते हैं। ऐसे लाभार्थियों की पात्रता केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी, जो संबंधित केंद्रीय योजनाओं में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों के अनुरूप होगी। सभी ऐसे कार्य केंद्र सरकार द्वारा जारी मानकों, विनिर्देशों एवं दिशानिर्देशों के अनुरूप होंगे।

29. व्यक्तिगत लाभार्थी कार्यों की पात्रता

उपर्युक्त सामान्य प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित व्यक्तिगत संपत्ति सृजन संबंधी कार्यों को निम्नलिखित श्रेणियों के परिवारों के स्वामित्व वाली भूमि या गृह–स्थल (होमस्टेड) पर प्राथमिकता दी जाएगीः–

क. अनुसूचित जाति

ख. अनुसूचित जनजाति

ग. घुमंतू जनजाति (खानाबदोश जनजाति)

घ. विमुक्त जनजाति

ङ. केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मानदंडों के आधार पर चिह्नित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

च. महिला प्रधान परिवार (महिला मुखिया वाले परिवार)

छ. दिव्यांग व्यक्तियों के प्रधानत्व वाले परिवार (दिव्यांग मुखिया वाले परिवार)

ज. भूमि सुधारों के लाभार्थी

झ. प्रधान मंत्री आवास योजना–ग्रामीण के लाभार्थी

ञ. अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के लाभार्थी

उपर्युक्त श्रेणियों के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की सूची समाप्त होने के पश्चात, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मानदंडों के आधार पर चिह्नित छोटे या सीमांत किसानों की भूमि पर कार्य हाथ में लिये जा सकते हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित शर्त्तों के अधीन होंगे, जिसमें यह अनिवार्यता भी शामिल है कि ऐसे परिवारों के पास एक वैध जॉब कार्ड हो तथा उनका कम से कम एक

वयस्क सदस्य अपनी भूमि या गृह–स्थल पर संचालित परियोजना में कार्य करने का इच्छुक हो।

अध्याय XII
कार्यस्थल प्रबंधन एवं सुरक्षा

30. कार्यस्थल पर सुविधाएँ

(1) कार्यस्थल पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगाः–

क. परियोजना प्रारंभ बैठक जिसमें सभी प्रावधानों की व्यवस्था की जाए।

ख. कार्यस्थल पर स्वीकृत कार्य आदेश की एक प्रति की सार्वजनिक निरीक्षण हेतु उपलब्धता।

ग. प्रत्येक कार्य का पैमाना अभिलेख तथा श्रमिकों के विवरण की सार्वजनिक निरीक्षण हेतु उपलब्धता।

घ. प्रत्येक कार्यस्थल पर एक "नागरिक सूचना पट्ट" (जनता बोर्ड) प्रदर्शित किया जाएगा तथा केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट रीति से उसे नियमित रूप से अद्यतन (अपडेट) किया जाएगा।

ङ. केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार गठित निगरानी एवं अनुश्रवण समिति सभी कार्यों की जाँच कर सकती है, और उसकी मूल्यांकन रिपोर्ट केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में कार्य रजिस्टर में दर्ज की जाएगी तथा सामाजिक अंकेक्षण के दौरान ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

(2) कार्यस्थल पर सुरक्षित पेयजल, बच्चों के लिए छाया एवं विश्राम की अवधि, प्राथमिक उपचार पेटी जिसमें मामूली चोटों तथा कार्य से संबंधित अन्य स्वास्थ्य जोखिमों के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध हो, की व्यवस्था की जाएगी।

(3) यदि किसी कार्यस्थल पर कार्यरत महिलाओं के साथ पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या पाँच या उससे अधिक हो, तो ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए उन महिला श्रमिकों में से किसी एक को नियुक्त करने की व्यवस्था

की जाएगी। इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को निर्धारित मजदूरी दर का भुगतान किया जाएगा।

31. सुरक्षा एवं दुर्घटनाएँ

(1) यदि योजना के अंतर्गत नियोजित किसी भी व्यक्ति को उसके कार्य के दौरान या कार्य से उत्पन्न किसी दुर्घटना के कारण कोई व्यक्तिगत चोट पहुँचती है, तो उसे आवश्यक चिकित्सीय उपचार निःशुल्क प्रदान किया जाएगा।

(2) यदि घायल श्रमिक के लिए अस्पताल में भर्ती कराना आवश्यक हो, तो राज्य सरकार उसके लिए अस्पताल में भर्त्ती की व्यवस्था करेगी, जिसमें आवास, उपचार, दवाइयाँ तथा दैनिक भत्ता शामिल होगा, जो निर्धारित मजदूरी दर के आधे से कम नहीं होगा।

(3) यदि योजना के अंतर्गत नियोजित किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या वह अपने रोजगार के दौरान या रोजगार से उत्पन्न दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से अपंग हो जाता है, तो उसे अथवा उसके वैध उत्तराधिकारियों को, जैसा भी मामला हो, कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत देय अधिकारों के अनुसार अथवा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रावधानों के अनुसार अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा।

(4) यदि योजना के अंतर्गत नियोजित किसी व्यक्ति के साथ आए बच्चे को कार्य के दौरान या कार्य से उत्पन्न किसी दुर्घटना के कारण कोई व्यक्तिगत चोट पहुँचती है, तो उस व्यक्ति को बच्चे के लिए आवश्यक चिकित्सीय उपचार निःशुल्क प्रदान किया जाएगा; और यदि उक्त दुर्घटना के कारण बच्चे की मृत्यु हो जाती है या वह अपंग हो जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार उसके वैध अभिभावकों को अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा।

अध्याय XIII
कृषि–चरम मौसम के दौरान कार्यों पर प्रतिबंध

32. कृषि–चरम मौसम की अधिसूचना

राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में, बुवाई और कटाई के चरम कृषि मौसमों को ध्यान में रखते हुए, कुल साठ दिवसों की अवधि या अवधियों

को अधिसूचित करेगी, जिनके दौरान योजना के अंतर्गत कोई भी कार्य नहीं लिया जाएगा।

33. क्षेत्र–विशिष्ट अधिसूचनाएँ

(1) राज्य सरकार निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों–जैसे जिलों, प्रखंडों या ग्राम पंचायतों–के लिए पृथक अधिसूचनाएँ जारी कर सकती है:

क. कृषि जलवायु क्षेत्र

ख. कृषि गतिविधियों के स्थानीय पैटर्न; तथा

ग. अन्य ऐसे प्रासंगिक कारक, जिन्हें आवश्यक समझा जाए।

(2) इस प्रावधान के अंतर्गत निर्गत प्रत्येक अधिसूचना अधिनियम तथा योजना के उद्देश्यों के लिए बाध्यकारी प्रभाव रखेगी।

34. अधिसूचित अवधियों के दौरान कार्यों पर प्रतिबंध

योजना के अंतर्गत कार्यों की योजना बनाने, स्वीकृति देने या क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी सभी प्राधिकार यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिसूचित चरम कृषि मौसमों के दौरान कोई भी कार्य प्रारंभ न किया जाए।

35. कार्यों की समय–सारणी

कार्यक्रम पदाधिकारी तथा अन्य कार्यान्वयन प्राधिकार, समेकित विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं को स्वीकृत करते समय और कार्यों की समय–सारणी बनाते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी कार्य केवल अधिसूचित चरम कृषि मौसमों के बाहर ही लिए जाएँ।

अध्याय XIV
आकलन, स्वीकृति एवं कार्य क्रियान्वयन

36. तकनीकी आकलन तथा मानक

(1) कार्य के लिए तकनीकी अनुमान और मानकः– इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकृत प्राधिकार से स्वीकृत तकनीकी अनुमान और डिजाइन होना आवश्यक होगा, जो विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक के अनुरूप तैयार किए गए ढाँचे पर आधारित होगा।

(2) निर्माण से संबंधित कार्यों के लिए, श्रम की उपलब्धता और स्थानीय सामग्री के उपयोग को ध्यान में रखते हुए, जहाँ तक संभव हो उपयुक्त श्रम–प्रधान तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।

(3) मात्रा विवरणी के बिल में सभी हितधारकों के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु स्पष्ट और सामान्यत: समझ में आने वाली शब्दावली का प्रयोग किया जाएगा।

(4) प्रत्येक कार्य के लिए अनुमान, डिजाइन तथा एक तकनीकी टिप्पणी का सार तैयार किया जाएगा, जिसमें अपेक्षित आउटपुट और परिणामों का उल्लेखन होगा।

(5) सभी तकनीकी अनुमान तथा डिजाइन नामित प्रबंधन सूचना प्रणाली के साथ एकीकृत डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से तैयार या अपलोड किया जाएगा।

37. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

(1) स्वीकृत विकसित ग्राम पंचायत योजना के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर अंतिम रूप दिए गए कार्य, तथा प्रखंड एवं जिला स्तर पर समेकित किए कार्यों को, आवश्यकताओं के अनुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक या वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाएगी, और यह प्रक्रिया तीस दिवसों के भीतर पूरी की जाएगी।

(2) स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि

क. प्रस्तावित कार्य केवल स्वीकृत विकसित ग्राम पंचायत योजना से ही लिए गए हैं

ख. वार्षिक योजनाएँ मानक आवंटन के आधार पर तैयार की जाएँगी, कार्यों की संगति विषयक क्षेत्र से है तथा विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक युक्त है।

ग. सभी स्वीकृत कार्य अधिनियम के अंतर्गत नामित डिजिटल पोर्टल के माध्यम से लिये गये हैं।

38. मजदूरी की कार्य–सम्बद्धता एवं दरों की अनुसूची

राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मजदूरी में किसी भी प्रकार का लैंगिक भेदभाव न हो तथा उन्हें कार्य की पूर्ण की गई मात्रा से जोड़ा जाए।

यह निर्धारण विभिन्न प्रकार के कार्यों और विभिन्न ऋतुओं के लिए समय–और–गति अध्ययन के आधार पर अधिसूचित ग्रामीण दर अनुसूची के अनुसार किया जाएगा, जिसे समय–समय पर संशोधित किया जाएगा।

39. कमजोर समूहों के लिए विशेष दर अनुसूची

महिलाओं, वृद्धजनों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा दुर्बलकारी रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों की उपयुक्त श्रेणियों के कार्यों में उत्पादक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु उनके लिए एक पृथक दर अनुसूची तैयार की जाएगी। दरों की अनुसूची को इस प्रकार तैयार किया जायेगा जिससे एक घंटे के विश्राम सहित आठ घंटे कार्य करनेवाला कोई भी वयस्क व्यक्ति अधिसूचित मजदूरी दर के समतुल्य (बराबर) राशि अर्जित कर सके।

40. कार्य के घंटे और अर्जन के मानक

(1) दर अनुसूची इस प्रकार निर्धारित की जाएगी कि एक वयस्क व्यक्ति, आठ घंटे कार्य करने पर– जिसमें एक घंटे का विश्राम भी शामिल है– अधिसूचित मजदूरी दर के समतुल्य अर्जन कर सके।

(2) वयस्क श्रमिक के कार्य घंटे लचीले हो सकते हैं, परंतु विश्राम के अंतराल सहित किसी भी स्थिति में एक दिन में बारह घंटे से अधिक नहीं होंगे।

41. निरीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण

राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि नामित गुणवत्ता–नियंत्रण टीमों द्वारा कार्यों का नियमित निरीक्षण और पर्यवेक्षण किया जाए, ताकि गुणवत्ता मानकों के अनुपालन, मापों की शुद्धता तथा वास्तविक रूप से निष्पादित कार्य की मात्रा के अनुरूप मजदूरी भुगतान की पुष्टि की जा सके। निरीक्षण रिपोर्टों को प्रबंधन सूचना प्रणाली पर अपलोड किया जाएगा।

42. जारी कार्यों की पूर्णता

नए कार्यों को प्रारम्भ करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजना मानकों तथा स्वीकृत विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के अनुरूप, चल रहे या अपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए।

43. मजदूरी–सामग्री अनुपात

योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों तथा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा लिए

गए सभी कार्यों में, सामग्री घटक की लागत जिला स्तर पर चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

44. ठेकेदारों के बिना क्रियान्वयन

(1) इस अधिनियम के अन्तर्गत वित्तपोषित किसी भी कार्य या उसके किसी घटक के क्रियान्वयन के लिए किसी भी ठेकेदार (कॉन्ट्रैक्टर) की नियुक्ति नहीं की जाएगी। ऐसे सभी कार्य में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा सीधे क्रियान्वयित किए जाएंगे, जिसमें अनिवार्य स्वतः–प्रकटीकरण (प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर) और सोशल ऑडिट (सामाजिक अंकेक्षण) की प्रक्रिया भी शामिल है।

(2) अभिसरण के मामलों में, जहाँ किसी कार्य के कुछ घटक अन्य योजनाओं के अंतर्गत वित्तपोषित होते हैं, उन घटकों का निष्पादन अभिसरण योजना के मानकों के अनुसार किया जा सकता है, जिसमें ठेकेदारों का उपयोग भी शामिल है, यदि वहाँ अनुमति हो।

(3) जहाँ तक संभव हो, कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निष्पादित कार्यों को मैनुअल श्रम के माध्यम से किया जाएगा और श्रम–विस्थापन करने वाली मशीनों का उपयोग नहीं किया जाएगा।

45. सामग्रियों का पारदर्शी क्रय

कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक सभी सामग्री ग्राम पंचायत या कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट पारदर्शी क्रय प्रणालियों, जिसमें ई–टेंडरिंग प्रक्रियाएँ भी शामिल हैं, के माध्यम से क्रय की जाएँगी।

अध्याय XV
निधि का नमूना एवं वित्तीय व्यवस्थाएँ

46. निधि का नमूना

(1) यह योजना केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित की जायेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच लागत–साझेदारी का अनुपात 60:40 होगा।

47. वित्तीय व्यवस्थाएँ

(1) राज्यवार मानक आवंटन:- प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, केन्द्रीय सरकार

समय–समय पर संप्रेषित किए जाने वाले वस्तुनिष्ठ मानकों के आधार पर योजना के कार्यान्वयन हेतु मानक आवंटन निर्धारित करेगी।

(2) मानक आवंटन से अधिक व्यय:- राज्य सरकार द्वारा उपगत किसी व्यय के अतिरिक्त राज्यवार आवंटन से अधिक व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

(3) **केन्द्रीय अंश :** स्वीकृत आवंटन के भीतर केन्द्रीय सरकार का अंश निम्नलिखित व्ययों को सम्मिलित करेगा–

(क) योजना के अंतर्गत नियोजित अकुशल, अर्ध–कुशल और कुशल श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान;

(ख) अनुसूची–I के प्रावधानों के अधीन कार्यों का सामग्री घटक, तथा

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्रशासनिक व्यय, जिनमें शामिल हैं–

i. कार्यक्रम पदाधिकारियों एवं सहायक कर्मचारियों के वेतन और भत्ते;

ii. केन्द्रीय परिषद् के प्रशासनिक व्यय;

iii. अनुसूची– II के अंतर्गत आवश्यक सुविधाएँ; तथा

iv. ऐसे अन्य मद।

(4) **राज्य अंशः**– स्वीकृत आवंटन के भीतर राज्य सरकार का अंश निम्नलिखित व्ययों को सम्मिलित करेगा–

(क) योजना के अंतर्गत नियोजित अकुशल, अर्ध–कुशल और कुशल श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान,

(ख) अनुसूची–I के प्रावधानों के अधीन कार्यों का सामग्री घटक, तथा

(ग) विनिर्दिष्ट प्रशासनिक व्यय, जिनमें शामिल हैं–

i. कार्यक्रम अधिकारियों एवं सहायक कर्मचारियों के वेतन और भत्ते

ii. राज्य परिषद के प्रशासनिक व्यय,

iii. अनुसूची– II के अंतर्गत आवश्यक सुविधाएँ, तथा

iv. ऐसे अन्य मद।

(5) **बेरोजगारी भत्ता एवं विलंब क्षतिपूर्ति :** योजना के अंतर्गत देय बेरोजगारी

भत्ता एवं विलंब क्षतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

(6) राज्य सरकार केंद्र से प्राप्त आवंटन की प्राप्ति पर, ग्राम पंचायतों के वर्गीकरण के आधार पर उनके न्यायसंगत, आश्यकता के अनुरूप एवं पारदर्शी वितरण जिलों एवं ग्राम पंचायतों को करेगा। ऐसे वितरण के निमित्त केंद्र सरकार के द्वारा मानक एवं प्रक्रिया अधिसूचित की जाएगी।

(7) प्रशासनिक व्यय का उपयोग; योजना के अंतर्गत अनुमेय प्रशासनिक व्यय में से कम से कम एक–तिहाई ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत रोजगार सेवक, तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति एवं भुगतान तथा अन्य प्रशासनिक व्ययों पर व्यय किया जाएगा।

अध्याय XVI
पारदर्शिता एवं सार्वजनिक प्रकटीकरण

48. सक्रिय प्रकटीकरण

(1) सार्वजनिक प्रकटीकरण डिजिटल प्रणाली के माध्यम से एकीकृत एम0आई0एस0 के द्वारा किया जाएगा और ग्राम स्तर पर निरीक्षण के लिए प्रदर्शित किया जाएगा।

(2) प्रत्येक कार्यस्थल पर एक 'जनता बोर्ड' प्रदर्शित किया जाएगा जिसमें कार्य का विवरण, अनुमानित श्रम दिवस, स्थानीय शब्दावली में सामग्री की मात्रा और मद–वार लागत दर्ज होगी।

(3) रोजगार के प्रदान किए गए दिवसों की संख्या, मजदूरी भुगतान, सामग्री भुगतान, अधिनियम के अंतर्गत गारंटियाँ, विकसित ग्राम पंचायत योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य, तथा ग्राम पंचायत एवं अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों (अभिकरणों) द्वारा वर्ष–वार किए गए या पूर्ण किए गए कार्यों का डिजिटल एवं भौतिक प्रदर्शन किया जाएगा।

(4) कार्यों, श्रम मांग, प्रदत्त रोजगार, भुगतान, सामग्री उपयोग तथा इस योजना के अंतर्गत भौतिक प्रगति से संबंधित सभी सूचनाओं का सार्वजनिक (लोक) प्रकटीकरण नामित पोर्टल से एकीकृत डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से किया जाएगा। साप्ताहिक प्रकटीकरण स्वचालित रूप से तैयार किए जायेंगे

और सार्वजनिक रूप से सुगम भौतिक और डिजिटल प्रारूपों में प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत समुदाय के समक्ष कार्यों की स्थिति, भुगतान, शिकायतों तथा अन्य प्रासंगिक जानकारियों को प्रस्तुत करने हेतु ग्राम पंचायत भवन में साप्ताहिक प्रकटीकरण सभाएँ आयोजित करेगी।

(5) जिला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उनकी आधिकारिक वेबसाइट अधिनियम से संबंधित सभी सूचनाओं के साथ नियमित रूप से अद्यतन किया जाए, निःशुल्क, इलेक्ट्रॉनिक रूप में डाउनलोड योग्य उपलब्ध हों।

(6) मस्टर रोल सहित सभी लेखा और अभिलेख सार्वजनिक जांच हेतु निःशुल्क उपलब्ध होंगे; आवेदन प्राप्त होने की तिथि से तीन कार्य दिवसों के भीतर प्रतियाँ उपलब्ध कराई जाएँगी।

अध्याय XVII
सामाजिक अंकेक्षण

49. सामाजिक अंकेक्षण का संचालन

(1) इस योजना के अंतर्गत सभी कार्य, व्यय और गारंटियाँ प्रत्येक छह महीने में कम से कम एक बार सामाजिक अंकेक्षण के अधीन होंगी।

(2) सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया, मानक और कार्यविधियाँ केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार होंगी।

(3) जब तक ऐसे नियम अधिसूचित नहीं किए जाते, तब तक 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंकेक्षण नियमावली, 2011' के उपबंध, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित, इस अधिनियम के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण के संचालन पर लागू होंगे।

50. निष्कर्षों का अनुपालन

(1) सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्ष ग्राम सभा में प्रस्तुत किए जाएँगे।

(2) सुधारात्मक एवं वसूली कार्रवाई बिना विलंब के प्रारंभ की जाएगी।

(3) कृत कार्रवाई प्रतिवेदन को एमआईएस में दर्ज किया जाएगा।

(4) किसी भी प्रकार का दुर्विनियोग बिहार राज्य में प्रचलित संबंधित राजस्व कानूनों के अंतर्गत वसूली योग्य होगी।

(5) ऐसी वसूली का भाग जो केन्द्रीय अंश से संबंधित है, उसे केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित तंत्र के माध्यम से भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा।

अध्याय XVIII
शिकायत निवारण एवं लोकपाल

51. वार्षिक प्रतिवेदन

जिला कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम पदाधिकारी तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत अपनी अधिकारिता के अंतर्गत योजना के कार्यान्वयन से संबंधित तथ्यों, आँकड़ों और उपलब्धियों का विवरण देते हुए एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेंगे। ऐसे प्रतिवेदन की एक प्रति, योजना में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे शुल्क के भुगतान पर, भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में जन साधारण के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

52. शिकायत निवारण तंत्र

योजना के अंतर्गत एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित घटक शामिल होगें:

(1) वार्ड, ग्राम पंचायत, प्रखंड तथा जिला स्तर पर शिकायतें प्राप्त करने हेतु संस्थागत व्यवस्था, तथा सप्ताह में कम से कम एक निर्धारित दिन जब अधिकारी अनिवार्य रूप से शिकायतें प्राप्त करने हेतु उपलब्ध हों ।

(2) योजना के अंतर्गत शिकायत निवारण तंत्र के प्रावधानों के अनुसार सभी कार्यान्वयन स्तर पर निपटान हेतु प्रत्येक श्रमिक को अपनी बात कहने का अवसर प्राप्त होगा तथा वह मौखिक या लिखित रूप में कोई भी शिकायत दर्ज करा सकेगा।

(3) लिखित, टेलीफोनिक, ऑनलाइन या मौखिक रूप से प्रस्तुत सभी शिकायतों के लिए दिनांक सहित पावती का निर्गमन।

(4) स्थल सत्यापन के माध्यम से जांच तथा शिकायत प्राप्त होने के सात कार्य दिवसों के भीतर निपटान।

(5) जांच पूर्ण होने पर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई तथा पंद्रह दिवसों के भीतर समाधान।

(6) सात कार्य दिवसों के भीतर शिकायत के निपटान में विफलता अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा।

(7) जहाँ प्रारंभिक जांच या सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट के निष्कर्षो के माध्यम से वित्तीय अनियमितता का प्रथम दृष्टया प्रमाण मिलता है, तो जिला कार्यक्रम समन्वयक विधिक सलाह प्राप्त करने के बाद प्राथमिकी दर्ज करेगा तथा आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ करना सुनिश्चित करेगा।

(8) संबंधित प्राधिकार शिकायतकर्ता को जाँच के निष्कर्षों तथा निवारण हेतु उठाए गए कदमों की सूचना लिखित भौतिक या डिजिटल माध्यम से प्रदान करेगा।

(9) सभी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्राप्त शिकायतों पर कृत कार्रवाई की समीक्षा और अनुश्रवण हेतु मध्यवर्ती पंचायत तथा जिला पंचायत की बैठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगाा।

(10) ग्राम पंचायत के आदेशों के विरूद्ध कार्यक्रम पदाधिकारी के समक्ष; कार्यक्रम पदाधिकारी के आदेशों के विरूद्ध जिला कार्यक्रम समन्वयक के समक्ष तथा जिला कार्यक्रम समन्वयक के आदेशों के विरूद्ध राज्य शिकायत निवारण प्राधिकार के समक्ष अपील की जाएगी।

(11) सभी अपीलें आदेश की तिथि से पैंतालीस दिवसों के भीतर दायर की जाएगी तथा तीस दिवसों के भीतर निपटान की जाएगी।

(12) सभी अपीलें आदेश की तिथि से पैंतालीस दिवसों के भीतर दायर की जाएगी।

(13) सभी अपीलों का निपटान प्राप्ति तिथि से तीस दिवसों के भीतर किया जाएगा। वार्ड, ग्राम पंचायत, प्रखंड या जिला स्तर पर पंद्रह दिवसों के भीतर किसी शिकायत का निपटान न होने पर वह शिकायत नामित प्रबंधन सूचना प्रणाली से एकीकृत डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से स्वत; अगले उच्च स्तर पर प्रेषित कर दी जाएगी, तथा ऐसे प्रसार का निरंतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अनुश्रवण किया जाएगा।

53. अभिलेख संधारण एवं शिकायत निवारण प्रणाली–

ग्राम पंचायत ऐसे रजिस्टर, वाउचर तथा अभिलेख तैयार करेगी और उनका

संधारण करेगी या करवाएगी, जिनका प्रारूप और संधारण की प्रक्रिया योजना में विनिर्दिष्ट की गई है। इन अभिलेखों में ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड एवं जारी पासबुक का विवरण, तथा ग्राम पंचायत में रजिस्ट्रीकृत परिवारों के मुखिया एवं वयस्क सदस्यों के नाम, आयु, और पते का विवरण शामिल होगा।

54. लोकपाल

राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए एक लोकपाल नियुक्त करेगी, जो शिकायत प्राप्त करेगा, जाँच करेगा तथा केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दिशानिर्देशों के अनुसार निर्णय जारी करेगा। लोकपाल नामित पोर्टल से एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्य करेगा।

अध्याय XIX
अनुश्रवण, निरीक्षण एवं मूल्यांकन

55. अनुश्रवण

(1) राज्य सरकार राज्य, जिला तथा प्रखंड स्तर पर कार्यान्वयन का अनुश्रवण करेगा।

(2) डैशबोर्ड तथा विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन (एमआईएस) में संधारित किए जाएँगे।

56. निरीक्षण

प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक वर्ष न्यूनतम विहित प्रतिशत कार्यों का निरीक्षण किया जाएगा;

क. ग्राम पंचायत स्तर पर : वर्ष के दौरान क्रियान्वित 100% कार्य

ख. प्रखंड स्तर पर : संबंधित प्रखंड की विभिन्न ग्राम पंचायतों में क्रियान्वित कम से कम 60% कार्य

ग. जिला स्तर पर : विभिन्न ग्राम पंचायतों में क्रियान्वित कम से कम 10% कार्य

घ. राज्य स्तर पर :पूरे बिहार में क्रियान्वित कम से कम 2% कार्य

57. मूल्यांकन

(1) स्वतंत्र मूल्यांकन के माध्यम से आवधिक रूप से परिणामों एवं प्रभावों का आकलन किया जायेगा।

(2) परिमेय परिणामों और वास्तविक–समय उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, कार्य निष्पादन तथा कार्य पूर्ण होने के बाद परिसंपत्तियों के परिणामों के अनुश्रवण हेतु प्रौद्योगिकी–सक्षम अनुश्रवण अनिवार्य होगा, जो सत्यापित डेटा प्रणालियों और स्थानिक तकनीकों द्वारा समर्थित होगी। साप्ताहिक सार्वजानिक प्रकटीकरण को एक व्यापक पारदर्शिता रूपरेखा के माध्यम से सुदृढ़ किया जाएगा। केंद्र सरकार में यथा विनिर्दिष्ट समवर्ती मूल्यांकन तंत्र निरंतर सतर्कता प्रदान करेगा और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई को सक्षम बनाएगा।

58. उल्लंघन के लिये दंड (शास्ति) तथा दुर्विनियोग की गई राशि की वसूली

(1) जो कोई भी अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा, वह ऐसे दंड का भागी होगा, जो अधिकतम दस हजार रुपये तक हो सकता है।

(2) योजना के अंतर्गत व्यय की गई राशि के किसी भी दुर्विनियोग की वसूली राज्य में प्रचलित संबंधित राजस्व वसूली कानूनों के अंतर्गत की जाएगी।

(3) ऐसी वसूली का वह भाग जो केन्द्रीय अंश से संबंधित है, उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित तंत्र के माध्यम से भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा।

अध्याय XX
प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण

59. प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण

(1) राज्य सरकार योजना के प्रभावी योजना, कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण और अनुश्रवण हेतु पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता वृद्धि और सुदृढ़ीकरण के लिए एक समर्पित योजना तैयार करेगी और उसे लागू करेगी।

(2) क्षमता निर्माण योजना में, अन्य बातों के साथ साथ, निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल होंगी–

क. पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को उनकी भूमिकाओं और दायित्वों पर प्रशिक्षण।

ख. सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियाँ, ताकि समुदाय में योजना के प्रावधानों, पारदर्शिता तंत्रों और सामुदायिक सहभागिता के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके।

ग. डिजिटल साक्षरता तथा एमआईएस, जियो–टैगिंग उपकरणों और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग पर अभिमुखीकरण।

घ. अभिलेख संधारण, वित्तीय प्रबंधन, शिकायत निवारण और सामाजिक संपरीक्षा के लिए पंचायती राज संस्थाओं में संस्थागत प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण

(3) यह योजना प्रतिवर्ष क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर तैयार की जाएगी और राज्य प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण रूप रेखा के साथ एकीकृत की जाएगी।

(4) पंचायती राज संस्थाएँ ऐसी क्षमता निर्माण पहलों के आयोजन में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगी तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की सहभागिता सुनिश्चित करेंगी।

(5) क्षमता निर्माण पर होने वाला व्यय, केन्द्र सरकार और बिहार सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अनुमेय प्रशासनिक एवं क्षमता निर्माण मदों से वहन किया जाएगा।

अध्याय XXI

समापन सूत्र

यह योजना अधिनियम के प्रावधानों के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ी जाएगी। किसी असंगति की स्थिति में अधिनियम के उपबंध प्रभावी होंगे।

राज्यपाल के आदेश से

09/06/2026

(पंकज कुमार)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :–5736799 पटना, दिनांक 09/06/26

ग्रा0वि0 07 (वीबी–जी राम जी)–01/2026

प्रतिलिपिः– ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

09/06/2026

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :–......573679 9...... पटना, दिनांक 09/06/26
ग्रा०वि० 07 (वीबी–जी राम जी)–01/2026
प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला मजिस्ट्रेट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

09/06/2026
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :–......573679 9...... पटना, दिनांक 09/06/26
ग्रा०वि० 07 (वीबी–जी राम जी)–01/2026
प्रतिलिपिः– सचिव, राज्यपाल सचिवालय/सचिव, लोकायुक्त/सचिव कार्यालय, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

09/06/2026
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :–......573679 9...... पटना, दिनांक 09/06/26
ग्रा०वि० 07 (वीबी–जी राम जी)–01/2026
प्रतिलिपिः– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसायटी/मिशन निदेशक, जल–जीवन–हरियाली मिशन/निदेशक सामाजिक अंकेक्षण सोसायटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

09/06/2026
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :–......573679 9...... पटना, दिनांक 09/06/26
ग्रा०वि० 07 (वीबी–जी राम जी)–01/2026
प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

09/06/2026
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :–......573679 9...... पटना, दिनांक 09/06/26
ग्रा०वि० 07 (वीबी–जी राम जी)–01/2026
प्रतिलिपिः– आई.टी. प्रबंधक, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर तत्काल अपलोडिंग हेतु प्रेषित।

09/06/2026
सरकार के प्रधान सचिव